यह निरीक्षण प्रतिवेदन, **अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई, सिचाई खंड-1 श्रीनगर** के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता पी एम जी एस वाई, सिचाई खंड-1 श्रीनगर** के माह 06/2018 से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री संदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 28/11/2020 से 08/12/2020 तक श्री वी0 पी0 सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री देवेन्द्र दिवाकर व श्री एस0एस0 राणा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पवन कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08/06/2018 से दिनांक 18/06/2018 तक श्री आई.के. जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2015 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2018 से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** पी एम जी एस वाई योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र जिला टिहरी के अंतर्गत विकास खंड कोट, खिर्शु, पौड़ी, पाबौ, थलीसेण के आंशिक क्षेत्र।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख मे)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**शासन को समर्पित राशि / अवशेष**	
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**स्थापना (समर्पित)**	**गैर स्थापना (अवशेष)**
2018-19		-	280.74	273.96	3502.41	2719.20	6.78	(-)78.32
2019-20		-	24.44	22.98	2171.59	1688.52	1.46	(-)483.07
2020-21		-	7.68	4.56	1521.56	1117.95		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख मे)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2018-19	पी एम जी एस वाई		3319.68	2539.25	780.42
2019-20	,,		1863.60	1508.15	355.45
2020-21	,,		1274.33	1032.71	

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई की श्रेणी "B" है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) सचिव, ग्राम्य विकास।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी एम जी एस वाई उत्तराखंड।

तकनीकी संवर्ग मे:

(3) मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष) (4) मुख्य अभियंता, गढ़वाल क्षेत्र,

(5) अधीक्षण अभियंता, श्रीनगर

(6) अधिशासी अभियंता (7) सहायक अभियंता

(8) कनिष्ठ अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान सहायक ,(7) वरिष्ठ सहायक ,(8) कनिष्ठ सहायक ।

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई सिचाई खंड-1 श्रीनगर को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता पी एम जी एस वाई सिचाई खंड-1 श्रीनगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01/2019 एवं 10/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया तथा उमरासु से मकरौली मोटर रोड का विस्तृत विश्लेषण किया गया जिसका प्रतिचयन लेखापरीक्षा अवधि मे अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में शून्य निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गई ।

5. फार्म 51: माह 11/2020 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथमः शून्य

भाग द्वितीयः शून्य

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 10/2020 के अन्त मेः

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिमः शून्य

(ख) सामग्री क्रयः शून्य

(ग) नगद परिशोधनः शून्य

(घ) निक्षेपः शून्य

(ङ) भण्डारः शून्य

भाग-दो 'अ'

प्रस्तर-01 : ***अनुबन्ध की शर्तो के विपरीत मशीनरी अग्रिम द्वारा ठेकेदार को अदेय लाभ पहुचाया जाना, ` 147.00 लाख एवं+ मार्ग निर्माण कार्य की मद (जीएसबी) मे उच्च दरों वाली सामग्री का प्रावधान/निष्पादन किए जाने के परिणामस्वरूप योजना पर अतिरिक्त व्ययभार `134.38 लाख तथा मार्ग की आधार सतह (Pavement) निर्माण हेतु मानकों के सापेक्ष आधिक मोटाई/मात्रा मे प्रावधान/निष्पादन किए जाने के कारण परिहार्य व्यय `15.34 लाख ।***

पी.एम.जी.एस.वाई. के फ़ेस-XV (UT-8-46) के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल मे निर्मित किए जा रहे उमरासू से मकरोली मोटर मार्ग स्टेज-I & II के निर्माण हेतु ` 1631.16 लाख ( ` 1480.00 लाख निर्माण कार्य + ` 151.16 लाख अनुरक्षण कार्य) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा दिनांक 27.07.2017 को प्रदान की गयी थी। जिस पर ` 1631.16 लाख (`1370.98 लाख निर्माण कार्य+ ` 134.91 लाख अनुरक्षण कार्य+ ` 125.27 लाख जीएसटी) राशि की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियंता स्तर-1 पी०एम०जी०एस०वाई०, देहरादून द्वारा प्रदान की गयी (03/2018)। कार्य हेतु माह 02/2018 को निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम निविदाता मै0 KBM कंस्ट्रक्सन,देहरादून के साथ अनुबंध स°-126/CE/URRDA/2017-18 दिनांक 28.03.2018 (अनुबंधित राशि- ` 1622.36 लाख) गठित कर कार्य निष्पादित कराया गया। जिससे संबन्धित अभिलेखो की जांच (12/2020) मे पाया गया कि:-

1. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई (सिचांई खण्ड.1), श्रीनगर की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य सज्ञान में आया था कि खण्ड द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के विरूद्ध दिनांक 29.03.2018 को ` 220.71 लाख का ब्याज रहित मोबिलाइजेशन/मशीनरी अग्रिम का भुगतान ठेकेदार को किया गया था।जिसमे ` 147.14 लाख का मशीनरी अग्रिम दिया गया था। किन्तु ठेकेदार द्वारा मशीनरी खरीद किए जाने का कोई प्रमाण/invoices/बिल खंड मे प्रस्तुत नही किया गया। जबकि नियमानुसार ठेकेदार को अग्रिम केवल उस कार्य मे प्रयोग की जाने वाली मशीनरी की खरीद हेतु ही दिया जाना चाहिए था। ठेकेदार द्वारा मशीन खरीद किए जाने के संबंध मे खण्ड मे कोई अभिलेख/प्रमाण प्रस्तुत नही किया। न ही खंड द्वारा उससे उक्त राशि पर ब्याज के साथ वसूली की गयी न ही उसके विरुद्ध कोई अन्य कार्यवाही की गयी। जिससे ज्ञात होता है कि शासकीय धन से ठेकेदार को अदेय लाभ पहुचाने हेतु ही बिना ब्याज के ` 147.14 लाख का अग्रिम दिया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा प्रकरण इंगित किए जाने पर खंड द्वारा आपत्ति को स्वीकारते हुये उत्तर मे अवगत कराया गया कि ठेकेदार द्वारा मशीनरी खरीद के सम्बंध मे प्रमाण स्वरूप कोई invoices/बिल खंड मे प्रस्तुत नही किया गया, जिसके सम्बंध मे ठेकेदार से पत्राचार किया जाएगा, यदि ठेकेदार द्वारा invoices/बिल प्रस्तुत नही किए जाते तो उससे ब्याज की वसूली कर ली जाएगी। इस प्रकार खण्ड द्वारा एक तो उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध ठेकेदारों को ब्याज रहित `147.00 लाख का मशीनरी अग्रिम प्रदान किया गया था वहीं दूसरी ओर अनुबंध शर्त के तहत उसके द्वारा प्रमाण न प्रस्तुत करने पर उसके विरुद कोई कार्यवाही न कर शासकीय राशि से अग्रिम के रूप मे ठेकेदार को अनियमित रूप सहायता पहुंचाई गई थी।

अत: शासकीय राशि से ठेकेदार को अनियमित तरीके से मशीनरी अग्रिम के रूप मे ` 147.00 लाख की सहायता पहुचाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया गाता है।

2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी°एम°जी°एस°वाई°) दिशा निर्देशिका के प्रस्तर-8.5(ii) के प्रावधानो के अनुसार "योजना के तहत निर्मित किए जाने वाले मोटर मार्गो के लिए डिज़ाइन और सतह का चयन अन्य बातों के साथ- साथ ग्रामीण सड़क नियमावली (IRC:SP:20-2002) मे निर्धारित तकनीकी विनिर्देशनों का पालन करते हुए यातायात, मृदा की किस्म(CBR) और वर्षा जैसे घटको के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए"। उपरोक्त के साथ, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (NRRDA) द्वारा मोटर मार्गो की निर्माण संरचना (Design) के लिए IRC:72-2007/2015 (Guidelines for design of flexible pavements for low volume rural roads) के Pavement Design Catalogue(Fig-4) को अपनाने की संस्तुति/दिशा निर्देश जारी किए गए थे।

उक्त कार्य की स्वीकृत डी.पी.आर. के अनुसार मार्ग की संरचना (डिज़ाइन) हेतु IRC:72-2015 के Pavement Design Catalogue (Fig-4) को अपनाया गया था। IRC:72-2015 के Pavement Design Catalogue (Fig-4) के अनुसार मार्ग के किमी 4-6,8,10-11,16-19 एवं 22 मे pavement की मोंटाई मार्ग की यातायात घनत्व श्रेणी,(T_3) तथा सी°बी°आर°(S_4)[1] के अनुरूप 225 mm होनी चाहिए।

किन्तु कार्य से संबन्धित अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (12/2020) मे पाया गया कि खंड द्वारा मार्ग के pavement की मोंटाई, मार्ग के यातायात घनत्व श्रेणी, तथा सी°बी°आर° के सापेक्ष मानको के अनुरूप (225 एमएम) न रखकर उससे आधिक मोटाई (250 एमएम) में प्रावधानित कर निष्पादित की जा रही थी। मार्ग की आधार सतह निर्माण हेतु निर्धारित मानको से अधिक मोटाई में जीएसबी का प्रावधान व निष्पादन किए जाने के कारण जीएसबी अधिक खपत हुई जिसके परिणामस्वरूप योजना पर कुल ` 15.34 लाख[2] का अतिरिक्त व्ययभार पड़ा,जो परिहार्य था।

साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) दिशा निर्देशिका का प्रस्तर 9.3 यह प्रावधान करता है कि ग्रामीण सड्को का स्थानीय सामग्री का उपयोग करते हुये किफायती डिजाइन किया जाना चाहिए। साथ ही IRCSP-20-2002 के बिन्दु संख्या 4.3.3 एवं IRC-72-2015 के बिन्दु संख्या 5.2 के प्रावधानों के अनुसार भी ग्रामीण सड़को के निर्माण मे स्थानीय सामग्री को प्राथमिकता दी जानी चाहिए,साथ ही वित्तीय नियमानुसार भी सरकारी धन का उपयोग करते समय सरकारी अधिकारी/कर्मचारी को हमेशा मितव्यतता का ध्यान रखना चाहिए। जबकि उक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखो के अवलोकन मे यह भी पाया गया कि कार्य मे आधार सतह (sb-Base-Course) का निर्माण भारतीय रोड काँग्रेस (IRC) के अनुसार प्राकृतिक रूप से उपलब्ध/ स्थानीय जी.एस.बी. (Granular Sub-base) सामग्री (Naturally occurring/ locally available material) दर ` 1006.80/cum के साथ न कर, उच्च दर की खदान सामग्री (Well Graded quarried GSB material) दर ` 1788.70/cum का प्रावधान किया जा रहा था तथा ठेकेदार को भी GSB हेतु ` 1681.62/cum का भुगतान किया गया। जिसके कारण खंड द्वारा उक्त मद (जीएसबी) हेतु प्रति घनमीटर ` 674.82 (`1681.62- ` 1006.80) की अधिक भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कार्य/ योजना पर ` **13038872.04** [संपादित मात्रा- 19322cum x `674.82] का अतिरिक्त/परिहार्य व्ययभार पड़ा।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अपने उत्तर मे अवगत कराया गया कि मार्ग पर पीसी कार्य कराया जाना था जिसके कारण जीएसबी एवं जी3 की मात्रा बढ़ाई गयी। IRC:72-2015 के Pavement Design के अनुसार मात्रा बढ़ाई गयी। साथ ही जीएसबी हेतु दी गयी अधिक दरो के सम्बंध मे अवगत कराया कि आवश्यकतानुसार कार्य कराया गया है।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योकि Pavement Design Catalogue (Fig-4) मे CBR (7-9 S_4) एवं traffic Category (T_3) के अनुसार ग्रेवल बेस की अधिकतम thickness 225 mm ही होनी

---

[1] *S_4=CBR 7-9, T_3= Cumulative ESAL applications =60000-100000*

[2] *निर्मित लम्बाई 9015.18 मी *0.025 *4.05मी = 912.78 Cum* 1681.62=* **₹ 15,34,949.10 (GSB)**

चाहिए थी। जिसमे पीसी कराने हेतु 225 mm जीएसबी के साथ 75 mm जी3 किया जा सकता था तथा जीएसबी पर अतिरिक्त किए गए अनावश्यक व्यय से भी बचा जा सकता था। अधिक मोटाई में (250 एमएम) जीएसबी प्रावधानित कर कार्य निष्पादित किए जाने के आधार के सम्बंध मे ऐसा कोई प्रमाण/अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किया गया जिससे ज्ञात होता हो कि अधिक मोटाई (thickness) मे कार्य निष्पादित कराया जाना आवश्यक था। साथ ही उक्त प्रावधानों के विपरीत स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री के स्थान पर उच्च दर वाली जीएसबी का प्रावधान कर, कार्य निष्पादन करने के सम्बंध मे भी खण्ड के पास एन.आर.आर.डी.ए/एस.आर.आर.डी.ए से कोई आदेश/निर्देश उपलब्ध नही था। न ही उक्त कार्य हेतु स्थानीय सामग्री उपलब्ध न होने के कोई प्रमाण थे। जिसके कारण उक्त मद मे रु 130.38 लाख का अतरिक्त/परिहार्य व्यय किया गया था।
अतः मार्ग की आधार सतह हेतु ग्रेवल बेस का मानको से आधिक मोटाई/मात्रा मे प्रावधान/निष्पादन किए जाने के कारण ` 15.34 लाख का एवं जीएसबी हेतु उच्च दर पर भुगतान किए जाने के कारण ` 130.38 लाख का आधिक/परिहार्य व्यय किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

3. आगे अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि उक्त ठेकेदार के अंतिम देयक के अनुसार संबन्धित ठेकेदार को कुल भुगतान `1313.53 लाख पर ` 145.32[3] लाख का GST का भुगतान किया था। किन्तु उससे GST जमा करने के सम्बंध मे कोई invoices/चालान की छायाप्रति प्राप्त नही की गयी। न ही ठेकेदार द्वारा कोई अन्य अभिलेख खण्ड मे प्रस्तुत किया गया कि ठेकेदार द्वारा जीएसटी जमा की गयी है। जबकि संविदी विभाग के द्वारा संविदकार को कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0 के प्रावधानों के अनुसार जारी टैक्स इन्वाइस पर ही किया जाना चाहिऐ था, जैसा कि शासनादेश संख्या 2137 दिनांक 5 सितम्बर 2017 एवं जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के प्रावद्यानों में उल्लेखित था, अर्थात बिना टैक्स इन्वाइस प्राप्त किये संविदा कार्य की देय संविदा धनराशि और 12 प्रतिशत कर की धनराशि का भुगतान संविदाकार को प्रावधानों के विरूद्व किया गया था। इसलिये खण्ड कार्यालय के द्वारा कार्य संविदा की बिना टैक्स इन्वाइस प्राप्त किये भुगतान की गयी धनराशि एवं 12 प्रतिशत कर भुगतान की धनराशि संविदाकार से माल एवं सेवाकर अधिनियमों 2017 एवं नियम के अनुसार नही है।
लेखा परीक्षा द्वारा प्रकरण इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे अवगत कराया गया कि इस सम्बंध मे ठेकेदार से पत्राचार किया जाएगा। खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योकि ठेकेदार द्वारा GST भुगतान के सम्बंध मे न तो कोई invoices/बिल खंड मे प्रस्तुत किया गया, न ही खण्ड द्वारा GST भुगतान की सूचना सेल्स टैक्स विभाग को दी गयी थी। साथ ही संबंधित ठेकेदार द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 में रिटर्न भरने के भी कोई प्रमाण प्राप्त नहीं थे। जबकि ठेकेदार को अधिकांश जीएसटी का भुगतान वित्त वर्ष 2018-19 में ही किया गया है।
अत: ठेकेदार द्वारा उक्त जीएसटी की राशि जमा करने अथवा इस संबंध मे अभिलेख प्रस्तुत करने तक ठेकेदार को ` 145.32 लाख का अनियमित भुगतान किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

[3] रु 157.62(GST का कुल भुगतान) -12.30 लाख (खण्ड द्वारा कटौती की गयी राशि) = रु 145.32 लाख

भाग-II (ब)

प्रस्तर-01: बिना भूमि अधिग्रहण के निर्माण कार्य कराया जाना व कार्य पूर्ण होने के बावजूद प्रतिकर न दिया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड -06 के प्रावधान नियम 378 के अनुसार बिना भूमि अधिग्रहण किए हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए इसी प्रकार पी.एम.जी.एस.वाई. दिशा निर्देश पुस्तिका 2015 के नियम 6.12 व 9.3 के अनुसार भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए । प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज -14 के अंतर्गत जनपद पौड़ी विकासखंड पाबों मे पैकेज संख्या यू टी -08-25 के अनुसार चपलौड़ी से कुल्याणी मोटर मार्ग स्टेज -1 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार का पत्र संख्या पी 17024/27/2015 आर सी दिनांक 13.04 .2017 के द्वारा 14.275 किमी नई सड़क निर्माण हेतु रु 721.00 लाख की प्राप्त हुई थी इसके अतिरिक्त रु 127.35 लाख की भूमि अधिग्रहण व वनीकरण के लिए प्राविधिक स्वीकृति भी प्राप्त थी। यह निर्माण कार्य दिनांक 3/12/18 को प्रारम्भ हुआ एवं दिनांक 1/6/2020 को पूर्ण हुआ था।

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- स्वीकृत राशि रु 721.00 लाख के सापेक्ष रु 754.66 लाख राशि व्यय की गयी थी रु 127.35 लाख प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया भूमि बिना अधिग्रहण किए कार्य पूर्ण कर दिया गया था। जो कि उपरोक्त नियमो के विरुद्ध था लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया कि – प्रतिकर की जो राशि स्वीकृत है इसका भुगतान कार्य पूर्ण होने के पश्चात किया जाएगा किसानो से होने वाले विवाद एवं संरेखण मे आंशिक बदलाव होने के कारण नहीं किया जाता है प्रतिकर प्रस्ताव गठित है धन आवंटन होने पर काश्तकारों को भुगतान कर दिया जाएगा । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि भूमि अधिग्रहण के बिना निर्माण किया जाना उपरोक्त नियम के विरुद्ध है । अत: बिना भूमि अधिग्रहण के रु 754.66 लाख धनराशि के निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर 2: ₹ 25.32 लाख एल0डी0 की वसूली न किया जाना एवं सड़क निर्माण पर ₹ 31.41 लाख का परिहार्य व्यय।

भारत सरकार ग्राम विकास मंत्रालय एवं ग्राम विकास विभाग के पत्र संख्या पी0-17027/24/2017-आर0सी0 (एफ़एमएस-355978) दिनांक 25.04.2018 एवं ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहारदून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 329/पी0-1-34(फेजXVI)/URRDA/18 दिनांक 14.05.2018 के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जनपद पौड़ी गड़वाल के विकासखण्ड पाबौं मे **चमपेश्वर से झंगरबौ तक मोटर मार्ग स्टेज-II लम्बाई 5.575 किमी0 मोटर मार्ग** के लिए ₹318.46 लाख (निर्माण कार्य के लिए ₹ 284.35 लाख + पंचवर्षीय अनुरक्षण हेतु ₹ 34.11 लाख) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु दिनांक 23.01.2019 को मैसर्स राहुल बिष्ट, श्रीनगर, पौड़ी के साथ कुल लागत ₹ 279.54 लाख (निर्माण कार्य की लागत ₹ 253.20 लाख + पंचवर्षीय अनुरक्षण की लागत ₹ 26.34 लाख) के लिए अनुबंध गठित किया गया था। अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य आरंभ करने की तिथि 28.01.2019 तथा निर्माण कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 27.10.2019 थी।

उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण से संबन्धित लेखा अभिलेखो की जांच मे निम्नलिखित तथ्य संज्ञान मे आए।

(अ) उपरोक्त निर्माण कार्य संप्रेक्षा तिथि (दिसंबर 2020) तक पूर्ण नहीं हो सका था। मुख्य अभियंता कार्यालय, देहरादून के पत्र दिनांक 09.12.2019 के द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए दिनांक 10.03.2020 तक की समयवृद्धि 0.10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति/एल0डी0 के साथ स्वीकृत की गई थी। ठेकेदार द्वारा पुनः आवेदन करने पर मुख्य अभियंता कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 03 नवम्बर 2020 के द्वारा दिनांक 11.03.2020 से 31.10.2020 तक की द्वितीय समयवृद्धि बिना क्षतिपूर्ति/एल0डी0 के स्वीकृत की गई थी। उपरोक्त दोनों समयवृद्धि से संबन्धित आवेदनपत्रों की जांच मे पाया गया की दिनांक 20.06.2019 से 23.09.2019 तक Rainfall due to Mansoon का उल्लेख करते हुये 96 दिवसो व दिनांक 02.03.20 से 10.03.20 (9 दिन) के लिए समयवृद्धि हेतु आवेदन दोनों ही आवेदन पत्रो मे किया गया जबकि द्वितीय समयवृद्धि की अवधि में उक्त 105 दिवस आते ही नहीं है। इस प्रकार 105 दिवस की समय वृद्धि के लिए ठेकेदार पर 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से संविदा मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत अर्थात ₹ 25.32 लाख की वसूली एल0डी0 के रूप मे की जानी चाहिए थी जो की नहीं की गई।

(ब) उपरोक्त निर्माण कार्य के संबंध मे IRC:SP:72-2007,Fig-4,Pavement Design Catalogues के अनुसार CBR 7-9 एवं Cumulative ESAL applications 60000 से 100000 के लिए traffic category T3 निर्धारित है तथा जिसमे केवल GSB के Gravel thickness 225mm का प्रावधान किया गया है। जबकि लेखा अभिलेखो की जांच मे पाया गया की आगणन मे 150 mm जीएसबी एवं

उसके उपर G-2 75mm एवं G-3 75mm का प्रावधान करके सड़क निर्माण कराया गया। जबकि यदि इकाई द्वारा GSB 150mm एवं जी-3 75mm के द्वारा सड़क निर्माण कराया जाता IRC:SP:72-2007,Fig-4,Pavement Design Catalogues के अनुसार निर्धारित thickness प्राप्त की जा सकती थी तथा WBM G-2 पर किए गए ₹ 31,41,056.00 के अनावश्यक व्यय से बचा जा सकता था।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया कि:-

(अ) मोटर मार्ग कि प्रथम समयवृद्धि 28.10.2019 से 10.03.2020 तक 0.10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (एल0डी0) के साथ प्रदान कि गई जिसमे दिनांक 20.06.2019 से 23.09.2019 तक अत्यधिक वर्षा के कारण कार्य बाधित रहा। पुनः द्वितीय समय वृद्धि दिनांक 11.03.2020 से 31.10.2020 तक बिना क्षतिपूर्ति के साथ मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत कि गई।

(ब) इकाई के उत्तर के अनुसार मोटर मार्ग कि डीपीआर का गठन IRC:SP 72:2015 के अनुसार किया गया है। STA द्वारा स्वीकृत Performa बी&सी के अनुसार traffic category T4,S4 है। औसत CBR 8.47 है। Cumulative ESAL 175986 है इस प्रकार Crust design के अनुसार T4,S4 ESAL>1 लाख मे sub-base 125mm,G-2 75mm G-3 75mm व PC/BT 20mm है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि:-

(अ) द्वितीय समयवृद्धि भी दिनांक 20.06.2019 से 23.09.2019 तक अत्यधिक वर्षा के कारण कार्य बाधित के आधार पर 96 दिवसो के लिए प्राप्त की गई थी।

(ब) उपरोक्त सड़क निर्माण हेतु डीपीआर का गठन IRC:SP:72-2007,Fig-4,Pavement Design Catalogues के अनुसार किया गया था जिसमे CBR 7-9 थी तथा Cumulative ESAL applications 60000 से 100000 थी जिसके लिए traffic category T3 निर्धारित है तथा जिसमे केवल GSB के Gravel thickness 225mm का प्रावधान किया गया है।

अतः सड़क निर्माण मे ठेकेदार पर ₹ 25.32 लाख एल0डी0 की वसूली न किए जाने एवं ₹ 31.41 लाख के परिहार्य व्यय का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग –II(ब)

प्रस्तर-3: बिना बीमा कराये निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी Standard biding document 2015 के अनुसार **Insurance 13.1** The Contractor at his cost shall provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the Start Date to the date of completion, in the amounts and deductibles stated in the Contract Data for the following events which are due to the Contractor's risks:

(a) loss of or damage to the Works, Plant and Materials;

(b) loss of or damage to Equipment;

(c) loss of or damage to property (except the Works, Plant, Materials, and Equipment) in connection with the Contract; and

(d) Personal injury or death.

13.2 Insurance policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Engineer for the Engineer's approval before the Start Date.

उपरोक्त नियमो के अनुपालन मे कार्यो का बीमा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि तक वैध होना आवश्यक है जिससे कि निर्माण के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का भुगतान शासन को न करना पड़े क्षति का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाए । लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- डोभ –श्रीकोट जामनखाल से कथुर लिंक पोखरी मोटर रोड का व उमरासू से मकरोली मोटर मार्ग का कार्य निर्माणाधीन है परंतु बीमा नहीं कराया गया था लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि ठेकेदार से पत्राचार किया जा रहा है उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व बीमा विभाग को उपलब्ध होना चाहिए था । यदि ठेकेदार ने नहीं कराया तो विभाग द्वारा ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि से कटौती करके बीमा किया जाना चाहिए था ।

अत: ` 1828.57 (357.24 + 1471.33) लाख के निर्माण कार्य बिना बीमा कराये प्रारम्भ किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है

भाग-II (ब)

प्रस्तर-4: समयपूर्व वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने के के कारण अधिकारियों/ कर्मचारियों को ₹1.84 लाख का वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान किया जाना।

उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 के नियम10(3) के अनुसार ऐसा कार्मिक जिसे 01 जनवरी और 30 जून के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई और 31 दिसंबर के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित *वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।*

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खंड-I,श्रीनगर (गढ़वाल) में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि:-

1. श्री भगत सिंह रावत, सहायक अभियन्ता (प्रभारी) का कार्यालय ज्ञाप संख्या- 415/अ0(पु)खत्र/पी-22 दिनांक 12.03.2018 के द्वारा किया गया वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण है। सेवा पुस्तिका में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार श्री भगत सिंह को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष जुलाई माह में देय होती है। उक्त ज्ञाप संख्या- 415 के द्वारा वेतन निर्धारण के समय श्री भगत सिंह को वार्षिक वेतन वृद्धि जो दिनांक 01.07.2009 को अनुमन्य की जानी चाहिए थी, 6 माह पहले दिनांक 01.01.2009 से अनुमन्य की गयी है, जिसके कारण आगामी वर्षों में भी वेतन वृद्धियाँ समय पूर्व अनुमन्य की गयी हैं। इस प्रकार समय पूर्व वेतन वृद्धियाँ अनुमन्य किए जाने के कारण श्री भगत सिंह को दिनांक 01.01.2009 से दिनांक 30.11.2020 तक की अवधि में कुल ₹1,72,340/-वेतन व महँगाई भत्ते सहित अधिक भुगतान किया गया है।

2. श्री कल्पेश्वर प्रसाद, मेट को दिनांक 20.01.2019 को प्रथम वित्तीय स्तरोनयन के फलस्वरूप उनका वेतन ₹29600/- निर्धारित किया गया है एवं वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2019 से अनुमन्य की गयी है। नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि,वित्तीय स्तरोनयन की तिथि से कम से कम 6 माह का समय पूर्ण होने पर जनवरी/ जुलाई में ही देय होगी। इस प्रकार जो वार्षिक वेतन वृद्धि श्री कल्पेश्वर प्रसाद को दिनांक 01.01.2020 से अनुमन्य की जानी चाहिए थी, वह उन्हें 6 माह पहले दिनांक 01.07.2019 से अनुमन्य की गयी है। इस प्रकार समय पूर्व वेतन वृद्धि अनुमन्य किए जाने के कारण दिनांक 01.07.2019 से दिनांक 30.11.2020 तक की अवधि में श्री कल्पेश्वर प्रसाद को कुल ₹11583/-वेतन व महँगाई भत्ते सहित अधिक भुगतान किया गया है।

कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए वेतन एवं भत्तों के भुगतान संबंधी अभिलेखों/ साक्ष्यों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा इन अधिकारियों को अधिक भुगतान किए गए वेतन एवं भत्तो की धनराशि की गणना की गई है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	**अधिक भुगतान की गयी कुल धनराशि (₹ में)**
01.	श्री भगत सिंह रावत	सहायक अभियंता(प्रभारी)	01/2009-11/2020	172340.00
02.	श्री कल्पेश्वर प्रसाद	मेट	07/2019-11/2020	11583.00
			योग	**183923.00**

(*अधिक भुगतान की गयी राशि के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा की गयी calculation sheet संलग्न है।कार्यालय द्वारा किए गए भुगतान की गणना कार्मिक की सेवापुस्तिका में की गई मूलवेतन की प्रविष्टियों एवं यथा-समय लागू मंहगाई भत्ते की दरों के आधार पर की गई है।)*

उक्त प्रकरण के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों की जांच कर कार्यवाही की जायेगी। खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है। अत: समय पूर्व वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने के कारण अधिकारियों/ कर्मचारियों को ₹1.84 लाख का वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर	भाग-II 'ब' प्रस्तर
52/2011-12	01	1,3,4
03/2013-14	01	1
147/2015-16	-	1
35/2018-19	1,2	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई सिचाई खंड -1 श्रीनगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र0 सं0	नाम	पदनाम
(1)	श्री वीरेन्द्र दत्त जोशी	अधिशासी अभियंता

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक कोई भी खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबद्ध नहीं रहे है।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई, सिचाई खंड-1 श्रीनगर** को इस आशय से प्रेषित की गई है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, ए.एम.जी.-II (Non-PSU), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095 को प्रेषितकिया जाए।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-II (Non-PSUs)